न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : कपिल कुमार कोठारी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **21/22 (वि.प्रा.पत्र)**

GCMS No : 2022/80

1. श्री महादेव स्थान देह खातेदार शाश्वत नाबालिग जरिये पुजारी कैलाशपुरी पिता स्व. जीवनपुरी गोस्वामी निवासी मावली गांव तह. मावली।

............प्रार्थी

बनाम्

1. श्री रतनलाल पिता उदयलाल जाट निवासी गायत्रीनगर मावली तह. मावली।
2. श्री पन्नालाल पिता नारायण जाट निवासी देवलाई मावली तह. मावली।
3. श्री प्रभुलाल पिता माधुलाल जाट निवासी देवलाई मावली तह. मावली।
4. श्री ओमप्रकाश पिता रूपलाल जाट निवासी गायत्रीनगर मावली तह. मावली।
5. श्री धर्मेन्द्र पिता रामलाल जाट निवासी गायत्रीनगर मावली तह. मावली।
6. श्री श्यामलाल पिता मांगीलाल जाट निवासी हेजा मावली तह. मावली।
7. श्री कैलाश पिता पन्नालाल जाट निवासी गायत्रीनगर मावली तह. मावली।
8. श्री रोहित पिता हीरालाल जाट निवासी गाडरियावास मावली तह. मावली।
9. श्री नरेश पिता छोगालाल जाट निवासी देवलाई मावली तह. मावली।

...............विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2ए जा.दी.

–: निर्णय :–

दिनांक : 16.08.2022

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2ए जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मावली पटवार हल्का मावली की आराजी संख्या 1711 रकबा 0.2185 हेक्टेयर, 2496 रकबा 0.2590 हेक्टेयर, 2497 रकबा 0.1376 हेक्टेयर, 2498 रकबा 0.2023 हेक्टेयर, 2500 रकबा 0.1295 हेक्टेयर, 2501 रकबा 0.1862 हेक्टेयर, 2938 रकबा 0.0647 हेक्टेयर कुल किता 7 रकबा 1.1978 हेक्टेयर कृषि भूमि स्थित है जो वर्तमान में श्री महादेव स्थान देह खातेदार के नाम पर अंकित है तथा श्री महादेव जी स्थान मूर्ति शाश्वत नाबालिग होकर मैं प्रार्थी पुजारी होने से उक्त कृषि भूमि के [illegible] में मुझ प्रार्थी ने विपक्षीगण के विरूद्व एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.टि.एक्ट [illegible] तहत् प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.08.29 11:13:11 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 167/21 वाद है एवं इसी के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.टी.एक्ट. का वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत किया जिसके मुकदमा नम्बर 100/21 प्रार्थना पत्र हैं।

2. यह कि मुझ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.टि.एक्ट. में माननीय न्यायालय द्वारा मुझ प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला मानते हुए दिनांक 30.09.2021 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई गई कि ''मौजा मावली पटवार हल्का मावली की आराजी नम्बर 1711, 2496, 2497, 2498, 2500, 2501, 2938 किता 7 रकबा 1.1978 हेक्टेयर भूमि में विपक्षी सं. 1 से 9 आगामी पेशी/आदेश तक वादग्रस्त आराजीयात में मौके की यथास्थिति बनाये रखें, किसी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण नहीं करे, नीवें नहीं खुदवाये, प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करे, उक्त कार्य न तो स्वयं करे, न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से करावें।'' उक्त आदेश निरन्तर प्रभावी है। वाद पत्र व प्रार्थना पत्र न्यायालय आपमें विचाराधीन होकर आगामी पेशी दिनांक 11.04.2022 नियत हैं।

3. यह कि माननीय न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा की सुस्पष्ट जानकारी विपक्षीगण को है फिर भी विपक्षीगण आपस में एक दूसरे का सहयोग कर वादगत आराजी चाह नम्बर 2938 पर कार तामीर करवाकर कब्जा करना चाह रहे है और इसी उद्देश्य से दिनांक 12.03.2022 को विपक्षीगण ने एक दूसरे के सहयोग से देर रात्रि गुप चुप तरीके से अनाधिकृत रूप से आराजी चाह नम्बर 2938 पर पत्थरों के खम्भे खडे कर उस पर लौहे की तारबन्दी करवा दी और मौके की स्थिति को परिवर्तित कर दिया जबकि विपक्षीगण को उक्त अवैधानिक कार्य करने का कोई अधिकार नहीं हैं।

4. यह कि मुझ प्रार्थी को विपक्षीगण के उक्त कृत्य की अगले दिन सुबह जानकारी होने पर मुझ प्रार्थी ने विपक्षीगण को माननीय न्यायालय से स्टे जारी होने की बात कहकर विपक्षीगण को उक्त आराजी चाह नम्बर 2938 पर की भूमि पर तारबन्दी करवाने से एवं मौके की स्थिति को परिवर्तन करने से मना किया तो विपक्षीगण मुझ प्रार्थी व मेरे परिजनों के साथ मां–बहिन की फौस फौस गाली गलोच करते हुए लडाई झगडा करने लग गये और धमकी दी कि कोई भी काम रूकवायेगा तो उसके हाथ–पैर तोडकर यही दफन[illegible]सके साथ ही विपक्षीगण ने यह भी कहा कि हम कोई स्टे [illegible]मानते है औ[illegible] इस कुंए की जमीन पर हमारी मर्जी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.08.29 11:13:11 IST
Reason: SelfAttested

होगी वो करेंगे और कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड सकता है, ऐसे स्टे हमने बहुत देखे। उक्त सम्बन्ध में मुझ प्रार्थी ने दिनांक 13.03.2022 को पुलिस थाना मावली में उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसकी कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं। इस तरह विपक्षीगण न्यायालय द्वारा स्टे जारी होने के उपरान्त भी वादगत आराजी चाह के मौके की स्थिति को परिवर्तन कर रहे हैं और प्रार्थी के उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी कर रहे हैं जबकि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की विपक्षीगण को भलीभांति जानकारी है फिर भी विपक्षीगण न्यायालय के आदेशानुसार पालना नहीं कर रहे है और न्यायालय के आदेश की निरन्तर अवहेलना कर अवज्ञा की है। इसलिए मैं प्रार्थी विपक्षीगण द्वारा न्यायालय स्थगन की अवहेलना एवं अवज्ञा कर विवादित आराजी चाह नम्बर 2938 पर स्थगन आदेश दिनांक 30.09.2021 के बाद निर्मित करवाई गई तारबन्दी को ध्वस्त करा हटवाने का अधिकारी हूं।

5. यह कि इस प्रकार विपक्षीगण माननीय न्यायालय के आदेश की पालना नहीं कर रहे है तथा मुझ प्रार्थी व मेरे परिवारजन को धमकीयां दे रहे है कि ऐसे न्यायालय के स्टे बहुत से आते है, हम किसी कोर्ट को नहीं मानते है और न कोर्ट के आदेश को मानते है, विपक्षीगण तो यह बात भी कहते है कि हमारी पहूंच बहुत उपर तक है और किसी कोर्ट का आदेश हमको नहीं रोक सकता है, हमारे पास पैसा व पॉवर दोनों ही है, हम हमारी मर्जी होगी वैसा ही करेगें। अगर हमको किसी ने रोकने की कोशिश की तो उसको जान से खतम कर देगें। इस प्रकार विपक्षीगण कानून को नहीं मान रहे है और न्यायालय के आदेश का मखौल उडा रहे हैं। इस प्रकार विपक्षीगण माननीय न्यायालय के आदेश की अवज्ञा के दोषी हैं।

6. यह कि विपक्षीगण ने माननीय न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.21 का खुले आम उल्लघंन किया है क्योंकि विपक्षीगण को इस बात का पूरा ज्ञान है कि माननीय न्यायालय से वादग्रस्त आराजीयात के मौके की यथास्थिति बनाये रखने, किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नहीं करने इत्यादि बाबत अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हुई है फिर भी उसके बाद भी विपक्षीगण एक दूसरे का सहयोग कर उक्त अवैधानिक कृत्य कर मौके की स्थिति परिवर्तित कर रहे हैं और मुझ प्रार्थी के उपयोग उपभोग में भी निरन्तर दखलन्दाजी कर व्यवधान कर नुकसान पहूंचा रहे हैं। विपक्षीगण कानून को नहीं मानते हैं और माननीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.08.29 11:13:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय के आदेश की अवज्ञा की हैं। इस प्रकार विपक्षीगण माननीय न्यायालय के आदेश की अवज्ञा का दोषी हैं।

7. यह कि इस तरह विपक्षीगण जानबुझ कर न्यायालय के आदेश की मखोल उडा रहे है और यह कहते है कि ऐसे आदेश तो होते रहते है हम इसकी परवाह नहीं करते। यदि रूल ऑफ लॉ में अगर न्यायालय के आदेश की पालना नहीं होती है तो जंगल राज्य स्थापित होने की आशंका है इसलिए ऐसे मामलों में विपक्षीगण के विरूद्व तत्काल कार्यवाही कर स्थगन आदेश के बाद विवादित स्थल पर की गई तारबन्दी को ध्वस्त कर हटवाया जाना एवं विपक्षीगण को सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जाना आवश्यक हैं।

8. यह कि मुझ प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 12.03.2022 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षीगण ने न्यायालय से स्थगन जारी होने के उपरान्त भी विवादग्रस्त आराजी चाह नम्बर 2938 पर जोर जबरदस्ती अनाधिकार रूप से पत्थर के खम्भे खडे कर तारबन्दी करवा दी तथा प्रार्थी को जानकारी होने पर प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को ऐसा करने से मना करने पर भी नहीं माने और मरने मारने पर उतारू हुए, तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

9. अतः प्रार्थना है कि विपक्षीगण के विरूद्व अधुल हुक्मी की कार्यवाही फरमाई जाकर विपक्षीगण को सिविल जैल में रखाया जावे और अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने के पश्चात् विपक्षीगण द्वारा आराजी चाह नम्बर 2938 पर पत्थर के खम्भे खडे कर करवाई गई तारबन्दी को पुनः विपक्षीगण के खर्चें से हटवाये जाने एवं मौके की पूर्व स्थिति बहाल कराये जाने का आदेश फरमाया जावें।

10. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 से 9 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रकरण में तहसीलदार मावली से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

11. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण को सिविल जैल में रखवाने एवं आराजी नम्बर 2938 पर पत्थर के खम्भे एवं तारबन्दी को विपक्षीगण के खर्चें से हटवाये जाने एवं मौके की पूर्व स्थिति बहाल कराये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.08.29 11:13:11 IST
Reason: SelfAttested

12. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत् वाद प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 167/21 हैं, उसी के साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया जिसके प्रकरण सं. 100/21 होकर प्रकरण में दिनांक 30.09.2021 से विपक्षी सं. 1 से 9 के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। विपक्षीगण द्वारा स्थगन के बावजूद वादग्रस्त भूमि पर तारबन्दी कर लोहे की जाली लगाकर नींव खुदवाकर मौका परिवर्तन करने पर आमादा होने से इनके विरूद्व कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट आदेश 39 नियम 2ए जा.दी. का प्रकरण पेश किया गया हैं। **"हमें सर्वप्रथम यह देखना है कि आदेश 39 नियम 2क क्या कहता है ? उक्त अधिनियम में निम्न प्रावधान है कि :— नियम 1 या नियम 2 के अधीन दिये गये किसी व्यादेश या किये गये अन्य आदेश की अवज्ञा की दशा में या जिन निबन्धनो पर व्यदेश दिया गया था आदेश किया गया था उनमें से किसी निबन्धन के भंग की दशा में व्यादेश देने वाला या आदेश करने वाला न्यायालय या ऐसा कोई न्यायालय, जिसे वाद या कार्यवाही अन्तरित की गई है, यह आदेश दे सकेगा कि ऐसी अवज्ञा या भंग करने के दोषी व्यक्ति की सम्पति कुर्क की जाए और यह भी आदेश दे सकेगा कि वह व्यक्ति तीन मास से अनधिक अवधि के लिए सिविल कारागार में तब तक विरूद्व किया जाए जब तक कि इस बीच में न्यायालय उसकी निमुक्ति के लिए निर्देश न दे दे। इस अधिनियम के अधीन की गई कोई कुर्की एक वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृक्त नहीं रहेगी, जिसके खत्म होने पर यदि अवज्ञा या भंग जारी रहे तो कुर्क की गई सम्पति का विक्रय किया जा सकेगा और न्यायालय आगमों में से ऐसा प्रतिकार जो वह ठीक समझे उस पक्षकार को दिलवा सकेगा जिसकी क्षति हुई हो, और यदि कुछ बाकी रहे तो उसे उसके हकदार पक्षकार को देगा।"** उक्त मामले में तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार मावली द्वारा पत्र क्रमांक राजस्व/2022/492 दिनांक 17.05.2022 से रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि मौजा मावली की आराजी नम्बर 2938 रकबा 0.0647 हेक्टेयर किस्म आ.चा. कुआ (बावडी) में स्थित बावडी की पश्चिम दिशा में लोहे की खिडकी एवं इसी आराजी की दक्षिणी व पश्चिमी दिशा में फेसिंग लोहे की जाली लगाई गई हैं, नींव का पक्का निर्माण कार्य बन्द हैं एवं पत्थर मौके पर पूर्व अनुसार ही पडे [illegible] [illegible]या हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.08.29 11:13:11 IST
Reason: SelfAttested

13. प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेज व तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट के अध्ययन से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने के पश्चात् भी विपक्षीगण द्वारा मौका परिवर्तन किया गया हैं। चूंकि प्रकरण में विपक्षीगण का कोई हक अधिकार नहीं हैं। वादग्रस्त भूमि महादेव जी स्थान देह खातेदार के नाम दर्ज हैं। विपक्षी सं. 1 से 9 का कोई हक अधिकार नहीं होने से महादेव जी स्थान की भूमि में मौका परिवर्तन करने का इनको कोई हक नहीं हैं। विपक्षीगण द्वारा किया गया परिवर्तन हटाया जाना न्यायहित में उचित हैं। उक्त भूमि के खातेदार महादेव जी स्थान देह शाश्वत नाबालिग होने से इनके हक अधिकारों की रक्षा किया जाना आवश्यक हैं। उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण होता है तो मन्दिर की भूमि को प्रबल नुकसान होने की सम्भावना हैं। स्थगन के बावजूद होने वाले निर्माण को तुरन्त प्रभाव से हटाया जाकर पूर्व की स्थिति बहाल किया जाना आवश्यक हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2क जा. दी. का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा मावली पटवार हल्का मावली की आराजी नम्बर 2938 रकबा 0.0647 हेक्टेयर किस्म आ.चा. (बावडी) में विपक्षी सं. 1 से 9 द्वारा किया गया मौका परिवर्तन को हटाया जाकर दिनांक 30.09.2021 से पूर्व की स्थिति को बहाल रखा जावें। विपक्षी सं. 1 से 9 भविष्य में किसी प्रकार से मौका परिवर्तन नहीं करने हेतु पाबंद रहे। तहसीलदार मावली को आदेशित किया जाता है कि निर्णय अनुसार पालना करावें आवश्यकता पडने पर थानाधिकारी मावली से पुलिस जाब्ता प्राप्त करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कपिल कुमार कोठारी)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.08.29 11:13:11 IST
Reason: SelfAttested